

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संचिका सं०- 5/विविध-30-08/2015

/पटना, दिनांक-

-:आदेश:-

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6038 दिनांक 22.12.2014 के आलोक में जल संसाधन विभाग के नियुक्त वैसे सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता, जिनकी सेवाएँ योजना एवं विकास विभाग को सौंपी गयी है, के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपिल) नियमावली-2005 के नियम 16 (2) के तहत लघु शास्तियों [नियम-14 की कंडिका (i) से (v)] अधिरोपित करने एवं अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करने की शक्ति योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना में निहित की जाती है।

2. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

ह०/-
(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)
/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक संचिका सं०- 5/विविध-30-08/2015


प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल, पथ, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक सं०-6038 दिनांक 22.12.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक संचिका सं०- 5/विविध-30-08/2015 - 849

/पटना, दिनांक- 15.5.15

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव /अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी निगरानी शाखा) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एम० आई० एस० कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी-05, 07, 09, 12, एवं 22 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)